भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3492
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में ओ.डी.आर. और वर्चुअल न्यायालय

3492. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्चुअल न्यायालयों का दायरा यातायात चालान से निपटने के दायरे से आगे तक बढ़ाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में, विशेषकर महाराष्ट्र में वर्चुअल बेंच स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) तंत्र क्रियान्वित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वर्चुअल न्यायालय की नई अवधारणा पुरः स्थापित की गई है। यह ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को कार्यान्वित करने के लिये उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है। इसका उद्देश्य न्यायालय परिसर में उल्लंघनकर्ताओं या अधिवक्ताओं की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करके न्यायालयों में आने वाले लोगों को कम करना है। अब तक, वर्चुअल न्यायालय का उपयोग यातायात चालान मामलों के लिए किया जा रहा है ।ई-न्यायालय परियोजना के चरण III के अधीन, सम्पूर्ण भारत में वर्चुअल न्यायालय के विस्तार के लिए 413.08 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्चुअल न्यायालय के उपयोग को विभिन्न अन्य संक्षिप्त मामलों में विस्तारित करने के लिए तौर-तरीकों पर कार्य किया जा रहा है, विशेष रूप से वे जिनमें मामूली विनियामक उल्लंघनों के लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिनके आंकड़े उपदर्शित करते हैं कि दोषी होने का अभिवचन पहली तारीख को प्रविष्ट किया जाता है।

उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित वर्चुअल सुनवाई का प्रोद्यवन **उपाबंध-1** पर विस्तृत है। अधिक वर्चुअल न्यायपीठ को संचालित करने की सुविधा का उपयोग करने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना है।

ई-न्यायालय परियोजना चरण III के अधीन, ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) के लिए 23.72 करोड़ रु. की रकम आबंटित की गई है। चरण III के अधीन, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए ओडीआर केंद्र और न्यायालय से संबंधित ओडीआर को संभालने के लिए समर्पित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की योजना बनाई गई है। इन ओडीआर प्लेटफार्मों को समय-समय पर चलाने के लिये अलग सॉफ्टवेयर टीम और केंद्रीकृत क्लाउड-आधारित हार्डवेयर को अलग रखने की योजना है, जो लंबित मामलों से निपटने में सुविधा प्रदान करेगा। सूचना और

संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से विवाद समाधान को सक्षम करने के महत्व को देखते हुए, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 30 में ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए विशेष उपबंध शामिल है ।

****

उपाबंध-1

महाराष्ट्र में ओडीआर और वर्चुअल न्यायालयों के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3492 जिसका उत्तर 21/03/2025 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। वर्चुअल सुनवाई के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे नीचे दिए गए है:

31 जनवरी 2025 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निपटाए गए मामलों (वर्चुअल सुनवाई) की संख्या				
क्र. सं	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय	कुल
1	इलाहाबाद	247388	6198497	6445885
2	आंध्र प्रदेश	407844	1439002	1846846
3	बॉम्बे	68675	215481	284156
4	कलकत्ता	163716	96365	260081
5	छत्तीसगढ़	104224	306193	410417
6	दिल्ली	322024	6173665	6495689
7	गौहाटी – अरुणाचल प्रदेश	2856	8345	11201
8	गौहाटी – असम	267063	489453	756516
9	गौहाटी – मिजोरम	4137	13268	17405
10	गौहाटी - नागालैंड	1200	930	2130
11	गुजरात	412983	219558	632541
12	हिमाचल प्रदेश	184912	190964	375876
13	जम्मू-कश्मीर	262032	550523	812555
14	झारखंड	222671	706551	929222
15	कर्नाटक	1261954	169202	1431156

16	केरल	166589	639489	806078
17	मध्यप्रदेश	679551	1049797	1729348
18	मद्रास	1487878	394231	1882109
19	मणिपुर	52093	16546	68639
20	मेघालय	6026	60566	66592
21	उड़ीसा	342870	321286	664156
22	पटना	277696	2887777	3165473
23	पंजाब और हरियाणा	616844	3040757	3657601
24	राजस्थान	244832	228175	473007
25	सिक्किम	698	16133	16831
26	तेलंगाना	1311437	195565	1507002
27	त्रिपुरा	22396	37854	60250
28	उत्तराखंड	89051	48597	137648
	कुल	9231640	25714770	34946410

****